श्रीमती सम्पतिदेवी विजयवर्गीय राजसेवक परिषद सर्वजन हितकारी संस्था

एक परिचय

विधवा पेंशन/आर्थिक सहायता/चिकित्सकीय सहायता/छात्रवृत्ति

शुभारंभ

राजस्थान प्रान्त में निवासित विजयवर्गीय समाज की जरूरतमंद विधवा महिलाओं एवं व्यक्तियों को आर्थिक सहायता, जरूरतमंद व प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को छात्रवृति, असाध्य रोग से पीडित तथा देवीय विपत्ति से पीडित व्यक्तियों को मानवीय आधार पर आर्थिक सहायता देने की दृष्टि से विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 15 अगस्त,2013 में लिये गये निर्णयानुसार परिषद विधान की धारा 4–उद्देश्य में नई उप धारा ''ड'' जोडते हुये विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद सर्वजन हितकारी स्थाई कोष न्यास का गठन किया गया। इस कोष का संचालन विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर के माध्यम से किया गया।

उल्लेखनीय है कि परिषद के 28 जुलाई,2013 को परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष श्री राजेन्द्र प्रसाद विजयवर्गीय (नारायणपुर निवासी) के नेतृत्व में परिषद की वर्ष 2013–2015 की नवगठित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह में छत्तीसगढ शासन के पूर्व मुख्य सचिव सेवानिवृत्त आईएएस श्री अशोक कुमार विजयवर्गीय द्वारा अपनी स्वर्गीय माता आदरणीया श्रीमती सम्पत्ति देवी जी की प्रेरणा स्वरूप उक्त न्यास कोष हेतु 5 लाख रूपये एवं शासन सचिवालय से शासन उप सचिव पद से सेवानिवृत्त नारायणपुर निवासी श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता द्वारा दो लाख रूपये का अनुदान दिया गया। जिन्हें(श्री अशोक कुमार विजयवर्गीय एवं श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता को) इस संस्था का विधिसम्मत संयुक्त रूप से संस्थापक माना गया)

इस कोष का संचालन पूर्व में विजयवर्गीय वैश्य राजसेवक परिषद, जयपुर द्वारा बनाये गये विधान के अनुसार किया जा रहा था।

रजिस्ट्रेशन एवं विधान

दिनांक 23 अक्टूबर, 2023 से संस्था का राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958) के अन्तर्गत सहकारिता विभाग से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या REG.NO.-COOP/2023/JAIPUR/206152 दिनांक 23.10.2023 से ''श्रीमती सम्पत्ति देवी विजयवर्गीय राजसेवक सर्वजन हितकारी संस्था, जयपुर के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया गया। वर्तमान में रजिस्टार सहकारी समितियों द्वारा अनुमोदित संचालन समिति द्वारा इसे कुशलतापूर्वक विधानान्तर्गत संचालित किया जा रहा है।

संस्था का मुख्य उद्देश्य राजस्थान क्षेत्र के विजयवर्गीय समाज के कमजोर आर्थिक स्थिति वाले जरूरतमंद–

1–विधवा महिलाओं को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना।
2–विधवा की पुत्री एवं अनाथ पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।
3–विधवा के बच्चे एवं अनाथ बच्चे जो असाध्य रोग से पीडित हो, हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।
4–विधवा के बच्चों एवं अनाथ बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना।

अनुदान राशि

श्रीमती सम्पत्ति देवी विजयवर्गीय राजसेवक हितकारी संस्था के SBI बैंक शाखा कुम्भा मार्ग, प्रतापनगर,, जयपुर के खाता सं0 42460469351 IFSC कोड SBIN0031840 में जमा कराई जाकर सहयोगी बने।

संस्था का विधान एवं संचालन समिति, अनुदानदाता, संस्था की वित्तीय स्थिति–आडिट रिपोर्ट , सहायता प्राप्त करने हेतु विभिन्न आवेदन पत्रादि एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी परिषद वेबसाइट www.vijayrajsevak.org में पृथक से Hitkari Kosh शीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध है।